



मध्यप्रदेश शासन  
कार्यालय पदाभिहित अधिकारी, लोक सेवा केंद्र Jaora  
टप्पा/तहसील जावरा जिला रतलाम

प्र.क्र. RS/434/0110/47913/2023 /बी-121/2023

दिनांक 19/12/2023

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र



प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. मनीष खोईवाल पिता/पति गणेश खोईवाल निवासी पत्रकार कालोनी, ward 30 Rajiv ward, Jaora (M), Jaora, रतलाम तहसील जावरा जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिए प्रभावशील जाप दिनांक 20/12/2011 में निर्धारित मापदण्ड की कण्डिका क्रमांक (ii) की पूर्ति करने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है।

2. \* प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक सी-3/17/1/3/2011 दिनांक 20/12/2011 के अधीन आवेदक द्वारा दिए विवरण अनुसार आवेदक की पत्नी\*/अवयस्क बच्चे\* जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है -

- (1) आवेदक की पत्नी का नाम सलोनी आयु 26 वर्ष है।
- (2) आवेदक के अवयस्क पुत्र/पुत्री एवं आयु

क्रमांक	अवयस्क पुत्र/पुत्री	आयु (वर्ष)
1	तीनेसा	2

टीप :- यह प्रमाण पत्र जाति निर्धारण के लिए जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र की जाँच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राह्य नहीं होगा।  
(आवेदक द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र के आधार पर जारी)



**Durga bamniya**  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी

\* तालू न होने पर काट दें।

नोट :- जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी



नोट :- पंजीयन क्रमांक : RS/434/0110/47913/2023 जारी सर्टिफिकेट का सत्यापन वेबसाइट lokseva.gov.in अथवा https://mpedistrict.gov.in पर यह पंजीयन क्रमांक देकर किया जा सकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि इस पत्र का प्रिंटआउट वेबसाइट https://mpedistrict.gov.in से मेरे द्वारा निकाला गया है।

हस्ताक्षर